जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

क्रमांक :– 1518-1525 दिनांक :– 11-6-25

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 8818 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा के अधीनस्थ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, बांसवाड़ा हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से अनुबंध के आधार पर संविदा पदो हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है –

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक (रू.)
1	ऑफिस असिस्टेंट	03	14,000/-
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	14,000/-
3	ऑफिस पिओन	03	11,000/-
	कुल	07	

शर्ते :–

1. ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त कार्मिकों की सेवाएं राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी।
2. ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक, जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में विचार नहीं किया जायेगा।
3. कार्मिक को पुर्ननियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. पुर्ननियुक्त किये गये कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त शर्तो पर सेवाएं देने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी दि. 19.06.2025 तक कार्यालय समय दोपहर 01:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज –

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलसीपी) की प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न)

आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/banswara से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पश्चात् वे व्यक्तिशः प्राधिकरण के कार्यालय पर सम्पर्क नहीं करें तथा आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, बांसवाड़ा की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :– 1518-1525 दिनांक :– 11-6-25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, कुशलगढ़/घाटोल/गढ़ी/बागीदौरा
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पता मय मोबाईल नम्बर :

5. आयु :
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
9. अनुभव :
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
 (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे)
 (एलपीसी संलग्न करें)
11. मूल पेंशन राशि :
 (पीपीओ संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतनमान :
 (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
 (संलग्नानुसार)
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
 (1) (2) (3)
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है :

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में सविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नी श्री जो सेवानिवृत्ति से पूर्व के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमति..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमति रू. मासिक मूल वेतन आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमति अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमति के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर